निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 938) पटना, मंगलवार, 18 अगस्त 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

———

अधिसूचना

5 अगस्त 2015

सं० वि०स०वि०-19/2015- 2917 / वि०स०— "आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015", जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 05 अगस्त, 2015 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया,

प्रभारी सचिव ।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

[वि०स०वि०-16/2015]

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना :– चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6831/2013 (एस०एल०पी० (सी०) संख्या 8066/2013 से उद्भूत) डॉ० राम तवक्या सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के पारदर्शी ढ़ंग की आवश्यकता पर बल दिया है;

चूँकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के बीच सार्थक और प्रभावी परामर्श की गुंजाइश एवं सीमा को आवश्यक माना है;

चूँकि राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु एक समान मानदंड के लिए प्रावधान करना समीचीन है;

चूँकि, अन्य बातों के साथ–साथ यह शर्त्त है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के बीच सार्थक एवं प्रभावी परामर्श के पश्चात् कुलपति के पद पर नियुक्ति की जानी है;

भारत-गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1) यह अधिनियम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह 19 अगस्त 2013 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

2. बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 10 में संशोधन। – आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) की धारा 10 की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

''(2) कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से, इस धारा की उप–धारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित 3–5 व्यक्तियों (नाम वर्णाक्रम से व्यवस्थित होंगे) के पैनेल से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।''

उद्देश्य एवं हेतु

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम, 24, 2008) के द्वारा की गई है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन के उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। डॉ0 राम तवक्या सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित SLP(C) संख्या 8066/2013 से उद्भूत सिविल अपील संख्या 6831/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए न्याय निर्णय के आलोक में कुलपति की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार से प्रभावी परामर्श किया जाना आवश्यक बतलाया गया है। साथ ही राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों को विनियमित करने संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम में कुलपति की नियुक्ति से पूर्व राज्य सरकार से प्रभावी परामर्श किये जाने का प्रावधान है। अतः आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा–10 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन आवश्यक हो गया है, ताकि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के पूर्व राज्य सरकार से प्रभावी परामर्श किया जा सके।

उपर्युक्त कारणों से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम, 24, 2008) में संशोधन करना आवश्यक है।

यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है।

(**प्रशांत कुमार शाही**)
भार–साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक 05 अगस्त, 2015

प्रभारी सचिव
बिहार विधान–सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 938-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in